शमन मानचित्र निर्गत रजिस्टर क्रमांक- 193 पर दर्ज है।

वाराणसी विकास प्राधिकरण, वाराणसी

सेवा में,

श्री कुमार आभास बजरिये रूद्रा रियल इस्टेट प्रा0लि0
आराजी सं0–21, 22 एवं 24, मौजा–धनेसरी, परगना–अठगांवा,
वार्ड–शिवपुर, तहसील–पिण्डरा, जिला–वाराणसी। मो0नं0–8527797506

पत्रांकः– 150 / 22 ग्रु0हा0 / शमन / वि0प्रा0 / विन्यास / 2023–24 दिनांकः– 16/1/24

विषयः– आराजी सं0–21, 22 एवं 24, मौजा–धनेसरी, परगना–अठगांवा, वार्ड–शिवपुर, तहसील–पिण्डरा, जिला–वाराणसी पर प्रस्तुत ग्रुप हाउसिंग शमन मानचित्र के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अपने आवेदन पत्र दिनांक 29.11.2022 का अवलोकन करने का कष्ट करें। आप द्वारा ग्रुप हाउसिंग के शमन मानचित्र उपाध्यक्ष महोदय द्वारा दिनांक 11.12.2023 को निम्नलिखित शर्तो / प्रतिबन्धों के साथ स्वीकृत कर दिया गया है, जिसका अनुपालन आपको सुनिश्चित करना होगा।

1. स्थल पर बी+स्टिल्ट+14 तलों के स्ट्रक्चरल का निर्माण किया गया है तथा फिनिशिंग का कार्य शेष है। अतः भवन की फिनिशिंग के पश्चात शमन मानचित्र में दर्शित पार्किंग प्लान के अनुसार पार्किंग की व्यवस्था सुनिश्चित करना होगा।
2. पूर्णता प्रमाण–पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा तथा पूर्णता प्रमाण–पत्र प्राप्त करने के उपरान्त ही अध्यासन क्रिया सुनिश्चित किया जायेगा।
3. आपको स्थल पर 100 पेड़ लगाना होगा।
4. पूर्व स्वीकृत मानचित्र में अंकित शर्त का अनुपालन करना होगा।
5. छत के क्षेत्रफल के 25 प्रतिशत भाग पर फोटो वोल्टाईक सोलर पैनल स्थापित करना होगा तथा पैसेज स्ट्रीट लाईट आदि में उपयोग करना होगा।
6. एन0जी0टी0 के शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।
7. प्रश्नगत समूह आवास पर शमन की गणना अनन्तिम है। पूर्णता प्रमाण पत्र के समय अन्तिम रूप से परीक्षण पर यदि देयता निकलती है तो आपको निर्धारित समयान्तर्गत भुगतान करना होगा।
8. यह मानचित्र भू–स्वामित्व से सम्बन्धित अभिलेख नहीं होगा और आपको भूमि का स्वत्वाधिकार प्रदान नहीं करेगा। आप द्वारा दाखिल स्वामित्व अभिलेख भविष्य में कभी भी फर्जी और असत्य पाये जाने की दशा में मानचित्र की स्वीकृति निरस्त समझी जायेगी और यह समझा जायेगा कि इस सम्बन्ध में मानचित्र पर कोई स्वीकृति नहीं दी गयी है तथा मानचित्र स्वीकृत के आधार पर आप द्वारा किया गया कोई भी निर्माण पूर्णतया अवैध माना जायेगा और इस कृत्य के लिए आप स्वयं जिम्मेदार होगें।
9. पी0एन0जी0 गैस हेतु पाईप लाईन का प्राविधान करना होगा और उपलब्धता होने पर कनेक्शन लेना होगा।
10. आपको E.C.B.C. 2019 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार भूखण्ड पर पूर्ण रूप से पालन करते हुये संयत्र स्थापित करना होगा।
11. रेनवाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था सुनिश्चित करना होगा तथा रख–रखाव सुचारू रूप से करना होगा।
12. कूड़ा संचयन की पर्याप्त व सुविधाजनक व्यवस्था सुनिश्चित करना होगा।
13. सोलर वाटर हीटिंग सिस्टम की व्यवस्था सुनिश्चित करना होगा।

भवदीय,

प्रभारी अधिकारी
(मानचित्र)

e:/aman/Letter/Realiz Shaman manchitra letter 11